न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2016 अपील

1.श्री छोगा आत्मज गजानन्द उर्फ गजू नाई निवासी बडाखेड़ा हा.मु. साबदड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्री लादू आत्मज स्व. सोहन नाई निवासी साबदड़ा
2. श्री सरजू पिता स्व. सोहन नाई निवासी साबदड़ा
3. गोदावरी पत्नी स्व. सोहन नाई निवासी साबदड़ा
4. श्री रघुनाथ आत्मज गजानन्द उर्फ गजू नाई निवासी साबदड़ा
5. श्री सुखा आत्मज गजानन्द उर्फ गजू नाई निवासी साबदड़ा
6. श्री लाडू पिता गजानन्द उर्फ गजू नाई निवासी साबदड़ा
7. श्री मोती आत्मज धन्ना नाई निवासी साबदड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक आसीन्द जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व निर्णय नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01.1983 ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द

उपस्थित –

1. श्री मांगी लाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सेन अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 1,2,5,6,7 की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.03.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्व विरूद्व निर्णय नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01.1983 ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द दिनांक 26.09.2016

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार आसीन्द द्वारा मृतक गजानन्द उर्फ गजू पिता गोरधन की विरासत का नामान्तरकरण सं. 446 दिनांक 04.01.1983 को जो स्वीकृत कर निर्णय पारित किया गया वह तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपील मेमों में वर्णित सजरे अनुसार मृतक गजानन्द उर्फ गजू पिता गोरधन का अपीलार्थी जायन्दा पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारीस हैं , जोकि मृतक गजानन्द उर्फ गजू की मृत्यु के बाद अपना हक व हिस्सा, समान हक के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी हैं । किन्तु गजानन्द उर्फ गजू की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 पटवार हल्का दांतड़ा द्वारा खोला गया, उसमें अपीलार्थी के नाम का अंकन नहीं किया गया एवं केवल प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 07 के नाम का अंकन कर नामान्तरकरण खोला गया । चूंकि मृतक गजानन्द उर्फ गजू के नाम पर ग्राम बडाखेड़ा व ग्राम साबदड़ा दोनों जगह पर कृषि भूमि थी जिसमें ग्राम साबदड़ा की विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी को बाकायदा विधिक वारिस मानते हुए उसका नाम विरासत में शामिल किया गया व उसके नाम पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 46 पर दर्ज रिकार्ड किया जाकर जमाबन्दी में नाम अंकित किया । जबकि ग्राम बडाखेड़ा में विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 खोला गया, उसमें प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर राजस्व अभियान कैम्प के दौरान आनन फानन में तस्दीक करवा दिया गया, जोकि निरस्त होने लायक हैं, क्योंकि अपीलार्थी का भी उक्त भूमि में विरासत से हक व हिस्सा आता हैं । इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द द्वारा तथाकथित नामान्तरकरण सं. 446 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य हैं। उक्त नामा. सं. 446 तहसीलदार आसीन्द ने रिकार्ड एवं वारीसान की जाँच व तहकीकात किये बिना ही विधि विरूद्व निर्णय पारित कर उक्त भूमि के अकेले प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 07 के नाम पर स्वीकृत करने में महत्वपूर्ण भूल की है, जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने लायक हैं। तथाकथित विवादित नामान्तरकरण सं. 446 के निर्णय दिनांक 04.01.1983 की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 08.09.2016 को हुई , जानकारी होने पर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं , फिर भी दफा 05 का अपील मियाद शुमार हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01.1983 को निरस्त किया जाकर मृतक गजानन्द उर्फ गजू की विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण 01 से लगायत 07 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

साथ अपीलार्थी के नाम पर भी खोला जाने के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया ।

प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसमें बताया गया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01.1983 को निरस्त किया जाकर मृतक गजानन्द उर्फ गजू पित गोरधन की विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 07 के साथ अपीलार्थी के नाम पर भी खोला जाने के आदेश प्रदान किया जावें, इसमें प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 को कोई ऐतराज नहीं हैं।

आज दिनांक 30.03.2017 को उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि गजानन्द उर्फ गजू की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 पटवार हल्का दांतड़ा द्वारा खोला गया, उसमें अपीलार्थी के नाम का अंकन नहीं किया गया एवं केवल प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 07 के नाम का अंकन कर नामान्तरकरण खोला गया । चूंकि मृतक गजानन्द उर्फ गजू के नाम पर ग्राम बडाखेड़ा व ग्राम साबदड़ा दोनों जगह पर कृषि भूमि थी जिसमें ग्राम साबदड़ा की विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी को बाकायदा विधिक वारिस मानते हुए उसका नाम विरासत में शामिल किया गया व उसके नाम पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 46 पर दर्ज रिकार्ड किया जाकर जमाबन्दी में नाम अंकित किया । जबकि ग्राम बडाखेड़ा में विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 खोला गया, उसमें प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर राजस्व अभियान कैम्प के दौरान आनन फानन में तस्दीक करवा दिया गया, जोकि निरस्त होने लायक हैं, क्योंकि अपीलार्थी का भी उक्त भूमि में विरासत से हक व हिस्सा आता हैं । इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द द्वारा तथाकथित नामान्तरकरण सं. 446 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य हैं।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। प्रार्थी ने मियाद के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया । बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिस अनुसार यह पाया गया कि मृतक गजानन्द उर्फ गजू के नाम पर ग्राम बडाखेड़ा व ग्राम साबदड़ा दोनों जगह पर कृषि भूमि थी जिसमें ग्राम साबदड़ा की विरासत के नामान्तरकरण में अपीलार्थी को बाकायदा विधिक वारिस मानते हुए उसका नाम विरासत में शामिल किया गया व उसके नाम पर विरासत का नामान्तरकरण सं. 46 पर दर्ज रिकार्ड किया जाकर जमाबन्दी में नाम अंकित किया गया । जबकि ग्राम बडाखेड़ा में विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 खोला गया उसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं करके केवल प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 07 तक के वारिसान का नाम ही अंकित किया हैं, जबकि अपीलार्थी का भी उक्त भूमि में विरासत से हक व हिस्सा आता हैं । प्रत्यर्थी सं. 01 व 02 ने भी अपने जवाब में गजानन्द उर्फ गजू पिता गोरधन की विरासत का नामान्तरकरण में प्रत्यर्थीगण सं. 01 से लगायत 07 के साथ अपीलार्थी के नाम पर भी नामान्तरकरण खोला जाने में सहमति प्रकट की हैं। इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द द्वारा तथाकथित नामान्तरकरण सं. 446 दिनांक 04.01.1983 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त होने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील विरूद्व विरूद्व निर्णय नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01.1983 ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द दिनांक 26.09.2016 के संबंध में ग्राम बडाखेड़ा में विरासत का जो नामान्तरकरण सं. 446 खोला गया उसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं करके केवल प्रत्यर्थी सं. 01 से लगायत 07 तक के वारिसान का नाम ही अंकित किया हैं । जबकि अपीलार्थी का भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

उक्त भूमि में विरासत से हक व हिस्सा होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं एवं ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील आसीन्द के नामान्तरकरण सं. 446 निर्णय दिनांक 04.01. 1983 को अपास्त किया जाता हैं। तहसीलदार आसीन्द को नामान्तरकरण सं. 446 दिनांक 04.01.1983 को पुनः रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त नामान्तरकरण सं. 446 दिनांक 04.01.1983 में सभी वारिसान की उचित सुनवाई कर , सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी कर, नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण सभी वारिसान के नाम पर खोला जावें। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.03.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा